(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 165–एक/17 विरुद्ध आदेश दिनांक 30.12.2016 पारित द्वारा नायब तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 47/अ–6/2015–16

---

1. ओमप्रकाश सोनी तनय श्री बालकृष्ण सोनी
2. सत्यम सोनी तनय स्व0 श्री शिवनारायण सोनी
   निवासीगण छतरपुर हाल निवासी बमीठा
   तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. दशरथ तनय स्व0 श्री बन्द्रावन बरसैयां
2. राजू तनय स्व0 श्री बन्द्रावन बरसैयां
3. सुनील तनय स्व0 श्री बन्द्रावन बरसैयां
4. रानी पुत्री स्व0 श्री बन्द्रावन बरसैयां
5. सरोज पुत्री स्व0 श्री बन्द्रावन बरसैयां
6. कुसुम पुत्री स्व0 श्री बन्द्रावन बरसैयां
7. कल्पना पुत्री स्व0 श्री बन्द्रावन बरसैयां
   निवासीगण ग्राम घूरा तहसील राजनगर
   जिला छतरपुर (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव

आदेश

(आज दिनांक 06/02/18 को पारित)

यह निगरानी नायब तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्र.

47/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा मौजा बमीठा तहसील राजनगर की भूमि खसरा नं. 661/30 रकवा 0.018 हे. के नामांतरण हेतु नायब तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया। कार्यवाही के दौरान सरोज पुत्री विन्द्रावन की ओर से स्वयं को खातेदार स्व0 विन्द्रावन की विधिक वारिसान होने के आधार पर आवेदकगण के रूप में संयोजित किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदकों द्वारा दिनांक 07.09.2016 को विवादित भूमि का मौका स्थल की जांच कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा सरोज पुत्री विन्द्रावन द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया तथा आवेदक द्वारा मौका स्थल की कर प्रतिवेदन मंगाने हेतु प्रस्तुत आवेदन इस आधार पर निरस्त किया कि कथित विकय–पत्र में खसरे का उल्लेख नहीं है। अतः मात्र चौहद्दी के आधार पर मौका स्थल की जांच औचित्यहीन है। नायब तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है जबकि उन्हें मौके की वास्तविक स्थिति का जांच प्रतिवेदन मंगाकर विधिवत विकय पत्र के साक्षियों को साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण आदि कराया जाना आवश्यक था इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान न देते हुए आदेश दिनांक 30.12.2016 पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अनावेदकों ने पूर्व में वारिसाना नामांतरण आवेदन में मात्र एक पुत्री दिखाई थी। बाद में स्वयं आवेदन लगाकर पटवारी रिपोर्ट में वास्तविक सिजरा आने पर बाकी तीन पुत्रियों को वारिसान बनाने हेतु आवेदन दिया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया है। आवेदन स्वीकार करने से पूर्व

अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अनावेदकों ने न्यायालय को भी गुमराह कर सभी वारिसों को आवेदन में नहीं लिखा।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण खजुराहो द्वारा आवेदक का किया गया नामांतरण, ग्राम पंचायत बमीठा का प्रमाण–पत्र मौका कब्जा आदि को नजर अंदाज करते हुए आदेश पारित किया है।

यह भी कहा गया कि विवादित भूमि खसरा नं. 661/30 पर आवेदकगण को मकान बना है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व रिकॉर्ड में आवेदकगण का नाम दर्ज करने के आदेश देना चाहिए था। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि अनावेदकों द्वारा नामांतरण का आवेदन अत्यधिक समय बाद प्रस्तुत किया है, जो प्रचलन योग्य नहीं है। उक्त आधारों पर आवेदक द्वारा निगरानी स्वीकार कर पंजीकृत विक्रय–पत्र के आधार पर नामांतरण किए जाने के आदेश देने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिये गए हैं कि नायब तहसीलदार का आदेश उचित एवं न्यायिक है। आवेदक द्वारा प्रकरण को लंबित करने के उद्देश्य से निगरानी प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर अभी होना है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा वारिसाना नामांतरण हेतु आवेदन दिनांक 08.01.2016 को प्रस्तुत किया है जब भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु कर लिया गया है, उक्त आवेदन में सभी वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जब इस संबंध में पटवारी द्वारा जांच कर सिजरा प्रस्तुत किया गया और उसमें समस्त वारिसानों के नामों का उल्लेख किया गया तब सभी वारिसानों को पक्षकार बनाया गया है। ऐसी स्थिति में अनावेदक स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं

आया है और न्यायालय के साथ कपटपूर्ण कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में आवेदन–पत्र प्रचलन योग्य नहीं था। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रय–पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार कार्यवाही किए जाने का कार्य राजस्व न्यायालयों का है। आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण खजुराहो द्वारा भवन नामांतरण स्वीकृति, ग्राम पंचायत बमीठा का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को पंजीकृत विक्रय–पत्र के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही करना चाहिए थी। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31.12.2016 निरस्त किया जाता है एवं निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में विधिवत् जांच कर आवेदक के पंजीकृत विक्रय–पत्र को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में विधिवत् नामांतरण आदेश पारित करें।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर